पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

अमरजीत साहनी उर्फ़ अमरजीत कुमार साहनी

बनाम

बिहार राज्य

2022 का आपराधिक अपील(खं.पी.) सं. 73

30 नवंबर, 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री चक्रधारी शरण सिंह और माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती जी. अनुपमा चक्रवर्ती)

हेडनोट्स

भारतीय दंड संहिता, 1860 - धारा 376 (3) - नाबालिग से बलात्कार - धारा 164 सीआरपीसी के तहत बयान पर पूरी तरह से भरोसा - दोषसिद्धि की स्थिरता - धारा 376 (3) आईपीसी के तहत दोषसिद्धि केवल धारा 164 सीआरपीसी के तहत बयान पर आधारित नहीं हो सकती है, जब पीड़िता ने खुद ट्रायल के दौरान स्वीकार किया कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था। धारा 164 सीआरपीसी के तहत बयान एक पिछला बयान है और इसका इस्तेमाल केवल पुष्टि या विरोधाभास के लिए किया जा सकता है, न कि ठोस सबूत के रूप में जब तक कि शपथ के तहत अदालत में मौखिक साक्ष्य द्वारा समर्थित न हो। [देखें: आर. शाजी बनाम केरल राज्य, (2013) 14 एससीसी 266] (पैरा 22-23)

भारतीय दंड संहिता, 1860 - धारा 376 (3) - अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन न करने वाले चिकित्सा साक्ष्य - यौन उत्पीड़न के आरोपों की पुष्टि करने वाले चिकित्सा साक्ष्य के अभाव में, और पीड़ित के निजी अंगों पर चोट या किसी विदेशी कण की अनुपस्थिति में, न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपराध साबित करने में विफल

रहा। चिकित्सा साक्ष्य में पाया गया कि हाइमन पुरानी थी और आंशिक रूप से टूटी हुई थी, लेकिन हाल ही में यौन गतिविधि या चोटों का कोई संकेत नहीं मिला। (पैरा 14-15, 23)

भारतीय दंड संहिता, 1860 - धारा 448 - घर में जबरन घुसना - विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में बरी होना उचित है - धारा 164 सीआरपीसी के तहत बयान के अलावा, अपीलकर्ता द्वारा पीड़िता के घर में जबरन घुसने को साबित करने वाला कोई विश्वसनीय मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य नहीं था। अदालत में पीड़िता के बयान ने जिरह के दौरान अभियोजन पक्ष के बयान का समर्थन नहीं किया। (पैरा 20-23)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 164 - कथन का साक्ष्य मूल्य - धारा 164 सीआरपीसी के तहत एक बयान का उपयोग केवल परीक्षण के दौरान अदालत में दिए गए बयान की पुष्टि या विरोधाभास के लिए किया जा सकता है। यदि पीड़िता, अपनी मुख्य परीक्षा या जिरह के दौरान, धारा 164 सीआरपीसी के अपने बयान की सामग्री को नकारती है, तो केवल उस बयान के आधार पर दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं है। [देखें: आर. शाजी बनाम केरल राज्य, (2013) 14 एससीसी 266 - पैरा 26, 29] (अनुच्छेद 22-23)

आपराधिक कानून - साक्ष्य की सराहना - पीड़िता के विरोधाभासी बयान - दोषसिद्धि पर प्रभाव - जहां पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा और जिरह में विरोधाभासी बयान दिए हैं, और अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सा या स्वतंत्र साक्ष्य से नहीं होती है, तो संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। (पैरा 23)

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता के लिए : श्री रजनीकांत पांडे, अधिवक्ता

उत्तरदाता के लिए : सुश्री शशि बाला वर्मा, स.लो.अ.

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: सुश्री आकांक्षा मालवीय, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2022 का आपराधिक अपील(खं.पी.) सं. 73

थाना कांड सं. 270, वर्ष-2018, थाना- वारिसनगर, जिला- समस्तीपुर से उद्भूत

==========

अमरजीत साहनी उर्फ़ अमरजीत कुमार साहनी, पिता- योगेश्वर साहनी, निवासी-गाँव- दानहर पंड, थाना- वारिसनगर, जिला- समस्तीपुर।

.... अपीलकर्ता

बनाम

बिहार राज्य

.... उत्तरदाता

==========

उपस्थिति :

अपीलकर्ता के लिए : श्री रजनीकांत पांडे, अधिवक्ता

उत्तरदाता के लिए : सुश्री शशि बाला वर्मा, स.लो.अ.

==========

गणपूर्ति : माननीय न्यायमूर्ति श्री चक्रधारी शरण सिंह

और

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती जी. अनुपमा चक्रवर्ती

सी.ए.वी निर्णय

(प्रतिः माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती जी. अनुपमा चक्रवर्ती)

दिनांक : 30-11-2023

यह अपील विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम-सह-विशेष न्यायाधीश, (पॉक्सो) अधिनियम, समस्तीपुर द्वारा टी.आर. सं. 129/21, 2018 का आर.एन. सं. 982(जो 2018 के वारिसनगर मामला सं. 270 से उत्पन्न हुआ था) में दिनांक 21.12.2021 के दोष सिद्धि के निर्णय और दिनांक 23.12.2021 के सजा के आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसमें अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 448 और 376(3) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है, जो इस प्रकार है:

अपीलकर्ता का नाम	**सजा**			
	धारा के तहत दोषी ठहराया गया	**कारावास**	**जुर्माना (रु.)**	**जुर्माने की चूक में**
अमरजीत साहनी	376(3) भा.दं.वी.	20 वर्षों के लिए सश्रम कारावास	20,000/-	**3** महिने के लिए साधारण कारावास
	448 भा.दं.वी.	1 वर्ष के लिए साधारण कारावास	-	-

सभी सजाओं को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया है। हालाँकि, अपीलकर्ता को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी नहीं पाया गया।

2. चूंकि मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 से संबंधित है, इसलिए हमारा विचार है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार पीड़ित लड़की की पहचान की रक्षा के लिए फैसले में पीड़िता या पीड़िता के माता-पिता के नामों का खुलासा नहीं किया जाएगा।

3. हमने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और बिहार राज्य के विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक रजनीकांत पांडे को सुना है।

4. आपराधिक मामला पीड़िता, जो सूचक (अ.सा. 2) है, द्वारा थानाध्यक्ष, वारिसनगर पुलिस थाना को दी गई लिखित जानकारी के आधार पर शुरू किया गया था, जिसमें सूचक ने कहा है कि 26.9.2018 को अपराह्न 5:00 बजे अपीलकर्ता जबरन उसके घर में घुस गया था और उसके साथ बलात्कार किया। जब पीड़िता ने शोर मचाया तो अपीलकर्ता ने उसे धमकी दी कि अगर उसने शोर मचाया तो उसे और उसके माता-पिता को मार दिया जाएगा। इसके बाद अपीलकर्ता भाग गया। जब उसकी माँ वापस आई, तो उसने उसे पूरी घटना सुनाई, जिसके बाद उसकी माँ *सरपंच* के पास गई, जिन्होंने उसे आश्वासन दिया कि पीड़िता को न्याय मिलेगा और पीड़िता को कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ नहीं हुआ और आखिरकार पीड़िता ने पुलिस के सामने अपनी लिखित शिकायत दर्ज कराई।

5. पीड़िता के लिखित आवेदन के आधार पर, वारिसनगर पुलिस थाना के थानाध्यक्ष, ने अपीलकर्ता के खिलाफ वारिसनगर पुलिस थाना में 2018 का मामला सं. 270 दिनांक 30.09.2018 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 448, 506, 376 और 34 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत कथित दंडनीय अपराधों के लिए मामला दर्ज किया।

6. जाँच के दौरान, जाँच अधिकारी ने दं.प्र.सं. की धारा 161 के तहत गवाहों के बयान दर्ज किए, दं.प्र.सं. की धारा 164 के तहत पीड़िता की जाँच की और पीड़िता को

चिकित्सीय जाँच के लिए भेज दिया। जाँच पूरी होने और दस्तावेज़ प्राप्त करने के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 448, 376 (ए.बी.) और 506 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत अपराधों के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

7. विचारण न्यायालय ने उपरोक्त अपराधों के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ दिनांक 04.02.2019 को पारित आदेश के माध्यम से संज्ञान लिया और बाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 448,376 (2)(एम) और 506 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत आरोप बनाया गया। अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया और मुकदमा चलाने का दावा किया।

8. अपीलकर्ता के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने आठ गवाहों से पूछताछ की है जो इस प्रकार हैंः

<u>रैंक</u>	**<u>नाम</u>**
अ.सा. 1	पीड़िता की मां
अ.सा. 2	स्वयं पीड़िता
अ.सा. 3	शत्रुघ्न साहनी
अ.सा. 4	नंद किशोर साह
अ.सा. 5	मंटून कुमार साह
अ.सा. 6	डॉ. कांति कुमार (चिकित्सा अधिकारी)

अ.सा. 7	पंकज चंद्र वर्मा (न्यायिक अधिकारी)
अ.सा. 8	नंद किशोर चौधरी (जांच अधिकारी)

9. अभियोजन पक्ष के गवाह के मौखिक साक्ष्य के अलावा, अभियोजन पक्ष ने कई दस्तावेजी साक्ष्य भी दर्ज किए जो इस प्रकार हैंः

क्रम सं.	**प्रदर्श सं.**	**वर्णन**
1	प्रदर्श-अ.1/सा.2	दं.प्र.सं. की धारा 164 के तहत पीड़िता के बयान पर उसके हस्ताक्षर।
2	प्रदर्श-अ.2/सा.2	प्राथमिकी के आधार पर लिखित बयान पर पीड़िता के हस्ताक्षर
3	प्रदर्श-अ.3/सा.2	पीड़िता के चिकित्सीय जाँच के अनुरोध पर उसके हस्ताक्षर
4	प्रदर्श-अ.4/सा.6	पीड़िता का चिकित्सा विवरण
5	प्रदर्श-अ.5/सा.7	दं.प्र.सं. की धारा 164 के तहत पीड़िता का बयान।
6	प्रदर्श-अ.6/सा.8	प्राथमिकी के आधार पर लिखित शिकायत का समर्थन
7	प्रदर्श-अ.7/सा.8	अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र

10. अ.सा. 1 पीड़िता लड़की की माँ है। उसके साक्ष्य से पता चलता है कि यह घटना लगभग नौ महीने पहले लगभग 04:00 बजे शाम को हुई थी और उस समय पर वह खेतों में काम कर रही थी। बाद में पता चला कि आरोपी को गलत तरीके से फंसाया गया है। चूँकि अ.सा. 1 ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया, इसलिए उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया। प्रति-परिक्षण में, उसने जाँच अधिकारी को दिए गए बयान से इनकार कर दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ता ने लगभग 12 साल की पीड़िता लड़की के साथ बलात्कार किया था।

11. अ.सा. 2 स्वयं पीड़िता लड़की है। उसके साक्ष्य से पता चलता है कि अपीलकर्ता उसके घर में आया था और उसे उसके साथ सोने के लिए मजबूर किया और दं.प्र.सं. की धारा 164 के तहत बयान देने और शिकायत के बारे में भी स्वीकार किया। हालाँकि, अ.सा. 2 द्वारा यह गवाही दी गई है कि वह पुलिस को दिए गए बयान/लिखित आवेदन की सामग्री को नहीं जानती थी और यह भी स्वीकार किया कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था। यह उल्लेख करना उचित है कि अ.सा. 2 को पक्षद्रोही घोषित नहीं किया गया था। इसलिए, यह माना जा सकता है कि पीड़िता ने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया था।

12. अ.सा. 3, अर्थात्, स्वतंत्र गवाह शत्रुघ्न साहनी से पूछताछ की गई, लेकिन उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और दूसरी ओर उन्होंने यह बयान दिया कि अपीलकर्ता एक अच्छे परिवार से है और कभी कोई गलत काम नहीं करता है।

13. इसी तरह अ.सा. 4, नंद किशोर साह, अ.सा. 5-मंटून कुमार साह, जो कथित गवाह हैं, ने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया। अपनी प्रति-परीक्षण में, उनके द्वारा विशेष रूप से कहा गया है कि अपीलकर्ता और पीड़ित दोनों परिवारों के बीच विवाद है और अपीलकर्ता को इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया था।

14. अ.सा. 6, अर्थात् डॉ. क्रांति कुमारी, जो मेडिकल बोर्ड की सदस्यों में से एक थीं, ने गवाही दी कि उन्होंने पीड़िता की जांच की और पाया कि हाइमेन पुराना था और आंशिक रूप से टूटा हुआ है, लेकिन पीड़िता के निजी हिस्से पर कोई चोट नहीं मिली। उन्होंने आगे गवाही दी कि योनि से एकत्र किए गए स्वाब को एफ.एस.एल. भेजा गया था, लेकिन रिपोर्ट से पता चलता है कि कोई शुक्राणु नहीं मिला था। उन्होंने कहा कि शारीरिक और रेडियोलॉजिकल जांच के आधार पर, पीड़िता की उम्र 14 से 15 वर्ष के बीच थी। इसके अलावा, बलात्कार या यौन संपर्क का कोई संकेत नहीं है और पीड़िता के निजी अंगों पर कोई चोट या बाहरी शरीर नहीं पाया गया है।

15. अ.सा. 7, न्यायिक अधिकारी, जिन्होंने दं.प्र.सं. की धारा 164 के तहत पीड़िता का बयान दर्ज किया। उक्त कथन को प्रदर्श पी 5 के रूप में चिह्नित किया गया था।

16. अ.सा.8, नंद किशोर चौधरी, वारिसनगर पुलिस थाना के सहायक उप-निरीक्षक हैं, जिन्हें पीड़िता द्वारा लिखित आवेदन दिनांक 30.09.2018 को प्राप्त हुआ था। उनके साक्ष्य से यह भी पता चलता है कि उक्त लिखित आवेदन के आधार पर उन्होंने वारिसनगर पुलिस थाना की फाइल पर 2018 का अपराध सं. 270 में मामला दर्ज किया, जिसे प्रदर्श पी 6 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने आगे गवाही दी कि उन्होंने शब्दशः प्राथमिकी प्रस्तुत किया और स्वतंत्र गवाहों के बयान भी दर्ज किए। इसके अलावा, उन्होंने अपराध स्थल का दौरा किया, और दं.प्र.सं. 164 के तहत पीड़िता का बयान दर्ज किया और डॉक्टरों द्वारा पीड़िता की जांच भी कराई। प्रति-परीक्षण में यह स्वीकार किया जाता है कि घटना के समय पीड़िता अपने घर में अकेली थी और पीड़िता के माता-पिता दं.प्र.सं. की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करने के समय अदालत में उसके साथ थे।

17. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विशेष रूप से यह तर्क दिया जाता है कि मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में भी (164 दं.प्र.सं. बयान को छोड़कर), विचारण

न्यायालय ने अपीलकर्ता को गलत तरीके से दोषी ठहराया है और इसलिए, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश षष्ठम-सह-विशेष न्यायाधीश, (पॉक्सो) अधिनियम, समस्तीपुर द्वारा टी.आर. सं. 129/21, 18 का आर.एन. सं. 982 (जो 2018 के वारिसनगर कांड सं. 270 से उत्पन्न हुआ था) में पारित दोषसिद्धि का निर्णय और सजा का आदेश त्रुटिपूर्ण, अस्थिर और दरकिनार किये जाने योग्य है। यह भी तर्क दिया जाता है कि शिकायत दर्ज करने में चार दिन की देरी हुई है, जिसका अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

18. दूसरी ओर, बिहार राज्य की ओर से उपस्थित अतिरिक्त लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि कानूनी साक्ष्य के अभाव में भी, एकमात्र अभियोजन साक्ष्य पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए, विचारण न्यायालय के फैसले की पुष्टि करने का अनुरोध किया।

19. हमने विचारण न्यायालय के विवादित फैसले और रिकॉर्ड के पूरी सामग्री का अवलोकन किया है और अपीलकर्ता के साथ-साथ राज्य के विद्वान स.लो.अ. द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर भी गहन विचार किया है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण पहलू जिसे इस न्यायालय द्वारा संबोधित करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या उन अपराधों के लिए अपीलकर्ता के अपराध को साबित करने के लिए कोई अभिलेखित सबूत है जिससे उसे दोषी ठहराया गया था।

20. 164 दं.प्र.सं. बयान के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि पीड़िता दिनांक 26.09.2018 को घर में अकेली थी और अपीलकर्ता ने पीड़िता के घर आकर उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, अपने कपड़े के बटन खोले, उसके साथ बलात्कार किया और भाग गया।

21. दं.प्र.सं. 164 के कथन अर्थात प्रदर्श पी5 को छोड़कर अपीलकर्ता के अपराध को साबित करने के लिए कोई आपत्तिजनक सामग्री अभिलेखित नहीं है।

22. यह उल्लेख करना उचित है कि ***(2013) 14 एस.सी.सी. 266*** में प्रदर्शित ***आर. शाजी बनाम केरल राज्य*** के मामले में माननीय शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि:

> *"**26.** न्यायालय में शपथ के तहत दिए गए साक्ष्य की बहुत पवित्रता होती है, इसलिए इसे मूल साक्ष्य कहा जाता है। द. प्र.सं. की धारा 161 के तहत बयानों का उपयोग केवल विरोधाभास के उद्देश्य से किया जा सकता है और द.प्र.सं. की धारा 164 के तहत बयानों का उपयोग पुष्टि और विरोधाभास दोनों के लिए किया जा सकता है। ऐसे मामले में जहां दंडाधिकारी को द.प्र.सं. की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करना होता है, वह उन सभी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए बाध्य है जिनका गवाह खुलासा करना चाहता है, एक गवाह के रूप में कोई व्यक्ति अनपढ़, देहाती ग्रामीण हो सकता है उसे इस बात की जानकारी नहीं हो सकती है कि उसे किस उद्देश्य के लिए लाया गया है, और द.प्र.सं. की धारा 164 के तहत उसे अपने बयानों में क्या खुलासा करना चाहिए। इसलिए, दंडाधिकारी को गवाह से व्याख्यात्मक प्रश्न पूछने चाहिए और उक्त मामले के संबंध में सभी संभावित जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।*
>
> ***29**. जाँच के दौरान, पुलिस अधिकारी कभी-कभी महसूस कर सकता है कि द.प्र.सं. की धारा 164 के तहत एक गवाह का बयान दर्ज करना उपयोगी हो सकता है। यह आमतौर पर तब होता है जब किसी अपराध के गवाह स्पष्ट रूप से आरोपी से*

जुड़े होते हैं, या आरोपी बहुत प्रभावशाली हो, जिसके कारण गवाह प्रभावित हो सकते हैं। (मामंद बनाम सम्राट [(1946) 59 एल.डब्ल्यू. 138 : ए.आई.आर. 1946 पी.सी. 45], भुबोनी साहू बनाम आर. [(1948-49) 76 आई.ए. 147 : ए.आई.आर. 1949 पी. सी. 257], राम चरण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [ए.आई.आर 1968 एस.सी. 1270 : 1968 क्रि एल.जे. 1473] और धनबल बनाम टी.एन. राज्य [(1980) 2 एस.सी.सी. 84 : 1980 एस.सी.सी. (क्रि) 340 : ए.आई.आर. 1980 एस.सी. 628]) "

उपरोक्त उद्धरण मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होता है।

23. विचारण न्यायालय के फैसले के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने आरोपी को केवल पीड़िता लड़की के बयान दं.प्र.सं 164 के आधार पर दोषी ठहराया है। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि पीड़िता की गवाही के दो संस्करण हैं, जो मुख्य-परीक्षा और प्रति-परीक्षण के विपरीत है। एक ओर, वह बयान देती है कि बलात्कार अपीलकर्ता द्वारा किया गया था और प्रति-परीक्षण में स्वीकार करती है कि अपीलकर्ता ने कोई गलत काम नहीं किया था। इसके अलावा, चिकित्सा साक्ष्य पीड़िता के खिलाफ यौन हमले को साबित करने के लिए किसी भी तरह से अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करता है। इसलिए, केवल 164 द.प्र.सं. के बयान पर भरोसा करते हुए, विचारण न्यायालय के इस निष्कर्ष को कायम नहीं रखा जा सकता है कि आरोपी ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया था। इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 448 और 376 (3) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ता की दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं है और

निर्णय और दोषसिद्धि और सजा का आदेश क्रमशः दिनांक 21.12.2021 और 23.12.2021, इसके द्वारा अलग कर दिया जाता है।

24. तदनुसार, अपील की अनुमति दी जाती है और 2018 के टी.आर. सं. 129/21, आर.एन. सं. 982 (जो 2018 के वारिसनगर मामला सं. 270 से उत्पन्न हुआ) में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश षष्ठम-सह-विशेष न्यायाधीश, (पॉक्सो) अधिनियम, समस्तीपुर द्वारा पारित दिनांक 21.12.2021 के दोषसिद्धि के निर्णय और दिनांक 23.12.2021 के सजा के आदेश को इसके द्वारा दरकिनार कर दिया जाता है।

25. अपीलकर्ता, अमरजीत साहनी उर्फ़ अमरजीत कुमार साहनी दिनांक 21.12.2021 के बाद से हिरासत में हैं। यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाए।

(जी. अनुपमा चक्रवर्ती, न्यायमूर्ति)

मैं सहमत हूँ।

(चक्रधारी शरण सिंह, न्यायमूर्ति):-

शानू/-

(चक्रधारी शरण सिंह, न्यायमूर्ति)

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।